राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– F.6(3)UDHPORTAL/UDH/2018 जयपुर,दिनांकः– 04/07/2019

आदेश

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से विभाग द्वारा **90-A (कृषि से अकृषि भू–रूपान्तरण)** सेवा को ऑनलाईन करने हेतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करवाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के संबंध में संबंधित विकास प्राधिकरणों व नगर विकास न्यासों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

अतः **दिनांक 04.07.2019 से 90-A (कृषि से अकृषि भू–रूपान्तरण) सेवा के सभी प्रकार के आवेदन ऑफलाईन माध्यम से ना लिये जाकर ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार कर निस्तारित** करवाया जाना सुनिश्चित किया जायें। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, जयपुर, जोधपुर, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, चित्तौडगढ, भीलवाडा।
6. अन्य संबंधित ....

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– F.6(20)UDH/DoITCServices/2019 जयपुर,दिनांकः– 09/12/2019

<u>आदेश</u>

नगरीय विकास विभाग द्वारा **नाम हस्तान्तरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र व बकाया लीज का भुगतान, सामुदायिक भवन बुकिंग, प्रोपर्टी आईडी जनरेशन, ई–टेन्डरिंग हेतु पेमेन्ट गेटवे (धरोहर राशि/EMD), कैश लेस सिस्टम/ऑफलाईन सेवाओं के लिये पेमेन्ट गेटवे सेवाओं** को ऑनलाईन करने हेतु एप्लीकेशन विकसित करवायी जाकर समस्त प्राधिकरण व न्यासों में लागू की गयी है।

अतः **उक्त सभी सेवाओं के आवेदन ऑफलाईन माध्यम से ना लिये जाकर ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार कर निस्तारित** करवाया जाना सुनिश्चित किया जायें। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, जयपुर, जोधपुर, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, चित्तौडगढ, भीलवाडा, पाली, आबू, बाडमेर व जैसलमेर।
6. अन्य संबंधित ....

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– F.6(3)UDHPORTAL/UDH/2018 जयपुर,दिनांकः– 29 APR 2019

<u>आदेश</u>

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से विभाग द्वारा Building Plan Approval (भवन मानचित्र अनुमोदन) सेवा को ऑनलाईन करने हेतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करवाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के संबंध में संबंधित विकास प्राधिकरणों व नगर विकास न्यासों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

अतः **दिनांक 01.05.2019 से Building Plan Approval (भवन मानचित्र अनुमोदन) सेवा के सभी प्रकार के आवेदन ऑफलाईन माध्यम से ना लिये जाकर ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार कर निस्तारित** करवाया जाना सुनिश्चित किया जायें। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, जयपुर, जोधपुर, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, चित्तौडगढ, भीलवाडा।
6. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
7. अन्य संबंधित ....

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– F.6(3)UDHPORTAL/UDH/2018 जयपुर,दिनांकः– 26/07/2019

सचिव,
विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर ।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
भरतपुर/भीलवाड़ा/श्रीगंगानगर/चित्तौडगढ़/आबू/पाली/जैसलमेर/बाडमेर/सीकर/सदाईमाधोपुर।
अलवर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर ।

विषयः– ले–आउट प्लान, उपविभाजन/पुर्नगठन, अनुमोदित कॉलोनियों के पट्टे आदि जारी करने संबंधी आवेदनों के निस्तारण बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत समस्त प्राधिकरण/नगर विकास न्यासों में अनुमोदित कॉलोनियों के पट्टे, ले-आउट प्लान अनुमोदन व भूखण्डों के उपविभाजन/पुर्नगठन हेतु आवेदन प्राप्त होते है, जिनका समयबद्ध निस्तारण अतिआवश्यक होता है।

अतः सभी संस्थायें उक्त के संबंध में प्राप्त प्रकरण/आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का श्रम करें।

भवदीय,

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय